न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: एम0के0 सिंह

सदस्य

[illegible] क्रमांक [illegible] विरुद्ध आदेश दिनांक [illegible] अपर आयुक्त ग्वालियर [illegible] ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 63/2003 [illegible]

1- [illegible]शंकर पुत्र सुन्दरलाल ब्राह्मण

2- [illegible] पुत्र नारायण प्रसाद
निवासीगण ग्राम [illegible] तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर

3- किरनबाई पुत्री नारायण प्रसाद ब्राह्मण
[illegible] जिला अशोकनगर

---- आवेदकगण

विरूद्ध

1- [illegible] पुत्र दौलतसिंह राजपूत

2- [illegible] सिंह पुत्र [illegible]राम राजपूत
निवासीगण ग्राम टाडा कृषक ग्राम
[illegible] तहसील मुगावली जिला अशोकनगर

3- नारायण प्रसाद पुत्र (नाम) अज्ञात जाति व्यास
[illegible] आर.आई. बहादुरपुर तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर

---- अनावेदकगण

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता, श्री मुकेश बेलापुरकर ।
अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री के. के. द्विवेदी ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक [illegible]-06-2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 63/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 29-6-05 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2 [illegible] तहसीलदार मुंगावली के प्रकरण क्रमांक [illegible]/93-94 में पारित आदेश दिनांक [illegible]-94 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जिसमें तहसीलदार द्वारा आवेदकों के हक में किए गए व्यवस्थापन आदेश को निरस्त किए जाने की मांग की

2 [illegible] आदेश दिनांक 11-4-01 द्वारा [illegible] प्रकरण [illegible] इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर न्यायालय में [illegible] की गई [illegible] ने आदेश दिनांक 19-1-05 [illegible] प्रकरण प्रत्यावर्तित किया । इस आदेश के विरूद्ध [illegible] न्यायालय में निगरानी पेश की गई जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा अस्वीकार की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में [illegible] की गई है ।

3 आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए है कि तहसील न्यायालय द्वारा म.प्र. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1984 के तहत नियमानुसार कार्यवाही के उपरांत पात्रतानुसार भूमि का व्यवस्थापन किया गया था । व्यवस्थापन आदेश के विरूद्ध अपील का प्रावधान न होने से अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक क्र. 1 द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की थी । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण में अपर कलेक्टर को तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अधिकार नहीं था । अपर कलेक्टर का आदेश अधिकारिता रहित है । अपर आयुक्त ने भी उक्त तथ्य को अनदेखा किया है ।

यह तर्क दिया गया कि अनावेदकों का कभी भी भूमि पर आधिपत्य नहीं रहा । आवेदक क्र. 1 का राजस्व निरीक्षक से कोई संबंध नहीं है । आवेदक क्र. 2 एवं 3 के पिता व्यवस्थापन के बहुत पहले वर्ष 1990 में सेवानिवृत्त हो चुके थे उनके किसी प्रकार का प्रभाव होने का कोई प्रमाण अथवा कारण नहीं था । आवेदकगण ग्राम के स्थाई निवासी है । अपर आयुक्त ने आवेदक द्वारा उठाये गये तर्कों को पूर्णतः अनदेखा किया है ।

4 अनावेदकों की ओर से यह तर्क दिया गया है कि आवेदक राजस्व निरीक्षक [illegible] और [illegible] पुत्रियों के [illegible] व्यवस्थापन कराया गया है । जिनका [illegible] उनका कब्जा प्रमाणित नहीं है । अपर कलेक्टर द्वारा [illegible] प्रत्यावर्तित किया है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर [illegible] है । अपर आयुक्त ने विस्तृत आदेश पारित किया है जिसे स्थिर रखा जाना चाहिए ।

5 उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन [illegible] अनुविभागीय अधिकारी ने उनके समक्ष अपील [illegible] प्रचलन योग्य न मानते हुए आदेश दिए थे जिसके विरूद्ध निगरानी स्वीकार करके अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया गया । प्रत्यावर्तन आदेश के विरूद्ध निगरानी में अपर

[illegible] आधार [illegible] अपर आयुक्त ने अपने आदेश में [illegible] है कि [illegible] भूमि पर अनावेदक का कब्जा [illegible] के समय से ही आधिपत्य है जबकि [illegible] आलोच्य भूमि पर कोई कब्जा अंकित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने भी [illegible] के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि की है । आवेदकगण [illegible] निरीक्षक के [illegible] पारिवारिक सदस्य होकर गोपनीय रूप से व्यवस्थापन की कार्यवाही संपादित की गई और अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में कार्यवाही को विधि विरुद्ध मानते हुए प्रकरण में आवश्यक जांच के निर्देश दिए हैं । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त ने उनके समक्ष प्रस्तुत पुनरीक्षण को स्वीकार किया है । प्रकरण के [illegible] अपर आयुक्त का आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक और विधि के [illegible] का कोई आधार नहीं है ।

परिणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा [illegible] आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर